फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ADM COURT मुकाम TONK

नवान वंशीलाल बनाम तहसीलदार देवली

कदमा अपील नं. 19 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/2025	अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित है। प्रकरण समाअत अदालत है। अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्थगन भी प्रस्तुत किया है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार देवली ने अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलान्टस को आराजी खसरा नं. 524 रकबा 0.39 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तह. देवली पर अतिकमी मानकर आराजी से बेदखल करने व पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर अतिकमी के रूप में काबिज नहीं है, बल्कि वर्षों से काश्तकार के रूप में काबिज चले आ रहे है। अतः अपीलान्ट को उक्त भूमि से किसी प्रकार बेदखल नहीं किया जावें एवं अपीलाधीन निर्णय की कियान्विति स्थगित रखी जावें। राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट उक्त आराजी पर अतिकमी के रूप में काबिज है। अतः अपीलाधीन निर्णय की कियान्विति स्थगित नहीं की जावें। हमने अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में न होने से हम प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मिसल मय गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये जाने सम्बन्धी मिसल तलब कर पत्रावली दिनांक 6/6/2025 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	324-325 30/5/2025